

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा जिला-भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह आर०ए०एस०

मुकदमा संख्या :- 37/2022-91047

1. महीपाल सिंह करेड़ा करेड़ा करेड़ा करेड़ा करेड़ा
प्रार्थी.....

बनाम

1. राजस्थान सरकार करेड़ा करेड़ा करेड़ा करेड़ा करेड़ा

विपक्षीगण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०मू०रा०अधि० 1956

:: आदेश ::

दिनांक

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०मू०रा०अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त खातों की खाता संख्या 487 आराजी नम्बर 2683/2 2694 4019/48 426 427/1

428 0-1265 10-1331 0-6197 10-4553 0-3102

0-0506

कुल किता 6 रकबा 17074

हेक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीनाम के मध्य आराजी मुकदमाधिया के सीमा बिन्दु नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसने प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगटी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 25/5/22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगटी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अर्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या 487 आराजी नम्बर 2683/2 2694 4019/48 426 427/1 428 0-1265 10-1331 0-6197 10-4553 0-3102 0-0506 कुल किता 6 रकबा 17074

हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगटी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक करेड़ा को 7000/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगटी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगटी नहीं की जावे।

संलग्न- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

प्रकारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला

प्रतिलिपि :- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगटी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

2022/413

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा